सुनवाई दिनांक 27/11/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

श्रीमान ए.ए. [illegible] अवकाश पर होने के
27/11/17 कारण आज दिनांक 27/11/17 को
विचाराधीन राजस्व मुकदमात की
सुनवाई दिनांक 4/12/17 को
की जावेगी।

4/12/17 वकील वादिगण उपस्थित। दस्तावेजात की सूचना के लिये दिनांक 7.11.17 आज पेश हुई। जो आदेश जारी किये गये, पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं दस्तावेजात सूचना एवं दस्तावेजात चौपू बर्दिया की लिखित का अवलोकन किया गया। दोनों दस्तावेजात की लिखित में कलाम 9 चिन्हांकित नहीं है एवं संलग्न दस्तावेजों में भी कलाम 9 चिन्हांकित लिखा हुआ नहीं है। जमाबन्दी सं. 2070 से 2073 में भी चिन्हांकित के लिखा हुआ है। कलाम 9 चिन्हांकित नहीं लिखा है। सिर्फ संलग्न सूचना एवं चौपू बर्दिया में लिखा है कि कलाम 9 चिन्हांकित है

सभी तथ्यों का अवलोकन किया गया जिससे साफ है कि मामला धारा 136 L.R.Act का नहीं बनता है। अतः धारा 136 LR Act. प्रावधान समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती शामिल पत्रावली हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

आदेश
5780
4.12.17